अखण्ड [illegible] अधिकारी, बावड़ी

महेन्द्र सिंह कॉरड़ बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार

मुकदमा 131, 136 RLR Act नं. 165/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.11.2020	वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रैस्पाडेन्टस के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रस्पाडेन्ट्स की तलबी जरिये समन की जाकर पत्रावली दिनांक 29/12/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
29.12.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की मौका जॉंच रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार मौका जॉंच रिपोर्ट तहसीलदार बावड़ी दिनांक 19/01/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
19.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जॉंच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल [illegible] हो। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 28/01/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
28.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम बावड़ी चक प्रथम तहसील बावड़ी की सरहद में प्रार्थीगण की कृषि भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 12:02:33 IST
Reason: SelfAttested

की ओकदा के दरम्यान लिपिकीय त्रुटिवश हुई गलत तरमीम दुरस्ती बाबत, निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पूर्व में हुए बँटवाड़े, नामान्तरकरण संख्या 2605 के पीछे दर्ज पृष्ठ अनुसार कब्जा काश्त होना बताया जो तहसीलदार बावड़ी रिपोर्ट में भी सही पाया गया है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में संलग्न तत्कालीन तहसीलदार भोपालगढ़ के स्वीकृत शुदा विभाजन प्रस्ताव आदेश क्रमांक 287 दिनांक 18.03.1996 के साथ संलग्न नक्शा जो विभाजन प्रस्ताव का भाग है के अनुरूप तरमीम शुद्धि व जमाबन्दी में खसरा नम्बर शुद्धि बाबत, निवेदन किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बावड़ी चक प्रथम के खसरा सं. 1698/2 में तरमीम (1698, 1698/1, 1698/3, 1698/4) दुरस्ती करने के आदेश तहसीलदार बावड़ी को दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार [illegible] उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी [illegible] राजस्व [illegible] में अमल दरामद [illegible]

पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.03.08 12:02:33 IST
Reason: SelfAttested